प्रधान कार्यालय :
डा.पे.सं. 88,
मंगलादेवी मंदिर मार्ग,
पांडेश्वर,
मंगलूर - 575 001.
कर्नाटक राज्य

कार्पोरेशन बैंक
Corporation Bank

Head Office :
P.B. No. 88,
Mangaladevi Temple Road,
Pandeshwar,
MANGALORE - 575 001.
Karnataka State

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक A Premier Public Sector Bank

INVESTOR SERVICES DEPARTMENT

Ref.No.ISD: 102 :2014-15

31st May 2014

To, **The Bombay Stock Exchange Ltd,** Corporate Relationship Department Ist Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P J Towers Dalal Street, Fort **MUMBAI - 400 001** Fax No. 022-22722037 / 22723121 **Ref: Code No.532179**	To, The Manager Listing Department, **National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, 5th Floor Plot No.C/1, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra (E) **MUMBAI - 400 051** Fax No. 022-26598237 / 26598238 **Symbol: CORPBANK**

Dear Sir,

Notice of Annual General Meeting of the Bank

In terms of Clause 31(b) of the Listing Agreement for equity, we are sending herewith a soft copy of the Notice of the Annual General Meeting of the Bank to be held on 26th June 2014, for uploading on the exchange site.

Yours faithfully,

(S.K. Dash)
Company Secretary

Encl: as above

तार / Grams : CIBICI, फैक्स / Fax : 0824-2444617/2425233
टेलेक्स Telex : 0832 - 321 CBHO IN 0832 - 228 BANK IN
✆ : 2426416 - 2426420, 2427911 - 2427913, 2421575, 2421685, 2444990 to 2444993 (PBX 14 Lines)
2425233

कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालय: मंगला देवी मंदिर मार्ग
मंगलूर – 575 001
दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक राज्य, भारत

सूचना

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 56 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन बैंक के शेयरधारकों की सत्रहवीं वार्षिक महासभा **गुरुवार, 26 जून, 2014 को पूर्वाह्न 10.30 बजे,** सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगला देवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूर - 575 001, कर्नाटक राज्य में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार विमर्श किया जाएगा:

मद सं. 1: बैंक के 31 मार्च, 2014 के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के लिए बैंक के कार्य-निष्पादन तथा क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श, अनुमोदन तथा स्वीकार करना।

मद सं. 2: वित्तीय वर्ष 2013-2014 हेतु ईक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करना।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान: मंगलूर
दिनांक: 23.05.2014

CORPORATION BANK
HEAD OFFICE : MANGALA DEVI TEMPLE ROAD
MANGALORE – 575 001
D.K. DISTRICT, KARNATAKA STATE, INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that the Seventeenth Annual General Meeting of the Shareholders of CORPORATION BANK will be held on **Thursday, 26th June, 2014, at 10.30 a.m.** at Millennium Building, Corporation Bank, Head Office, Mangala Devi Temple Road, Pandeshwar, Mangalore – 575 001, KARNATAKA State to transact the following business:

Item No. 1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2014, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2014, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2: To declare Final Dividend on Equity Shares for the Financial Year 2013-2014.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

Place : Mangalore
Date : 23.05.2014

नोट

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

जिस शेयरधारक को बैठक में भाग लेने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

प्रॉक्सी के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो कार्पोरेशन बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।

विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत देनेवाला, लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने हेतु बैठक प्रारंभ होने से **कम-से-कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 21 जून, 2014 को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 2.00 बजे** तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मंगला देवी मंदिर मार्ग, मंगलूर-575 001, कर्नाटक राज्य में प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैंक के शेयरधारक कंपनी निकाय का विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, वार्षिक महासभा में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्यप्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि से **कम-से-कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 21 जून, 2014 को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 2.00 बजे तक** या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का., मंगलूर - 575 001, कर्नाटक राज्य को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

3. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में है, तब केवल पहले नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा और वह ही बैठक में वोट डालने के लिए पात्र होगा।

4. सदस्यों के रजिस्टर की बंदी

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 12 के अनुसरण में बैंक के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियाँ, **मंगलवार, 17 जून, 2014 से गुरुवार, 26 जून, 2014** (दोनों दिनों सहित) सत्रहवीं वार्षिक महासभा के संबंध में तथा उक्त वार्षिक महासभा में भाग लेने तथा अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, को प्राप्त करने हेतु पात्र शेयरधारकों के नाम निर्धारित करने के उद्देश्य से बंद रहेगी।

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Corporation Bank.

As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Mangala Devi Temple Road, Mangalore – 575 001, Karnataka State, **not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting,** i.e. **on or before the closing hours i.e. 2.00 p.m. of Saturday, the 21st June, 2014.**

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank, with the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, H.O., Mangalore – 575 001 Karnataka State, not later than **FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours i.e. 2.00 p.m. of Saturday, the 21st June, 2014.**

3. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

If shares are in the names of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting.

4. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

Pursuant to Regulation 12 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Tuesday the 17th June, 2014 to Thursday the 26th June, 2014** (both days inclusive) in connection with the Seventeenth Annual General Meeting and for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the Annual General Meeting and to receive the final dividend, if any.

5. उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ अनुबंधित है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थान पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र में यथास्थिति "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, उल्लिखित करना चाहिए।

6. सूचना तामिल करना

17वीं वार्षिक महासभा की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति अन्य बातों के साथ–साथ ई–वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति सूचित करते हुए उपस्थिति पत्रक एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिन्होंने अपनी ई–मेल आईडी संसूचना के लिए बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत करवाई है और इसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध न किया हो। जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत न करवाया हो, उन्हें 17वीं वार्षिक महासभा की सूचना की कागज़ी प्रति अन्य बातों के साथ–साथ ई–वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति सूचित करते हुए उपस्थिति पत्रक एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ अनुमत विधि द्वारा भेजी जा रही है। इस बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com पर भी उपलब्ध कराई गई है।

7. इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित ईक्विटी के लिए सूचीकरण करार के खण्ड 35बी के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक, अपने सदस्यों को 17वीं वार्षिक महासभा (एजीएम) में एक वैकल्पिक मतदान विधि के रूप में ई–वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तुत करता है, जिससे वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकेंगे और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. द्वारा उपलब्ध कराए गए ई–वोटिंग सर्विसस, ई–वोटिंग प्लैटफार्म से कार्य संचालित किए जा सकते हैं। **कृपया नोट करें कि ई–वोटिंग वैकल्पिक है।**

ई–वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नानुसार है:

I क. यदि किसी शेयरधारक को प्राधिकृत ई–वोटिंग प्लैटफार्म प्रदाता कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. से ई–मेल प्राप्त होता है (उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ई–मेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है):

i) वोटिंग के दौरान कंप्यूटर/इंटरनेट सुविधा युक्त गैडजेट पर अपने वेब ब्राउज़र को खोलें और 'https://evoting.karvy.com' में नैविगेट करें।

ii) ई–मेल/या उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित लॉगइन विवरण (अर्थात् यूज़र आईडी और पासवर्ड) प्रविष्ट करें। अपनी फोलियो/क्लाइंट आईडी आपकी यूज़र आईडी होगी।

5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

6. SERVING OF NOTICE

Electronic copy of the Notice of the 17th Annual General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s) for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their e-mail address, physical copies of the Notice of the 17th Annual General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form are being sent in the permitted mode. The notice of this meeting is also made available in the website of the Bank www.corpbank.com.

7. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

In compliance with provisions of Clause 35 B of the Listing Agreement for Equity read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer e-voting facility as an alternative mode of voting for its Members at the 17th Annual General Meeting (AGM), which will enable them to cast their votes electronically and the business may be transacted through e-Voting Services provided by Karvy Computershare Pvt. Ltd., e-Voting Platform. **Kindly note e-voting is optional.**

The instructions for e-voting are as under:

I A. In case a shareholder receives an e-mail from Karvy Computershare Pvt. Ltd. the authorised e-Voting Platform provider, [for shareholders whose e-mail IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s)]:

i) Open your web browser on your computer/on other internet enabled gadgets during the voting period and navigate to **'https://evoting.karvy.com'**

ii) Enter the login credentials (i.e., user-id & password) mentioned in the e-mail/or on the Attendance Slip. Your folio/DP Client ID will be your User-ID.

यूज़र- आईडी User – ID	डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए:- For Members holding shares in Demat Form:- क) एनएसडीएल के लिए:- 8 कैरेक्टर वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी a) For NSDL:- 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID ख) सीडीएसएल के लिए:- 16 अंकों वाली लाभार्थी आईडी a) For CDSL :- 16 digits beneficiary ID कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए:- For Members holding shares in Physical Form:- • EVEN उसके बाद बैंक से पंजीकृत फोलियो संख्या • EVEN followed by Folio Number registered with the Bank.
पासवर्ड Password	विशिष्ट पासवर्ड इलेक्ट्रॉनिक सूचना के ज़रिए ई-मेल द्वारा भेजा है।/Your Unique password is forwarded through the electronic notice via email.
कैपचा Captcha	सत्यापन कूट प्रविष्ट करें अर्थात् सुरक्षा कारणों से ठीक उसी तरीके से वर्णों और संख्याओं को प्रविष्ट करें।/Enter the Verification code i.e., please enter the alphabets and numbers in the exact way as they are displayed for security reasons.

iii) किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए ई प्लैटफार्म प्रोवाइडर की टोल फ्री सं. **18003454001** पर संपर्क करें।

iv) उपयुक्त तरीके से ब्यौरे प्रविष्ट करने के बाद "LOGIN" पर क्लिक करें।

v) डीमैट/कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब पासवर्ड बदलने का मेनू पाएंगे जिसमें उन्हें नए पासवर्ड की फील्ड में अपना लॉगइन पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में न्यूनतम आठ कैरेक्टर होने हैं जिनमें कम-से-कम एक अप्पर केस (A-Z) वाला, एक लोवर केस (a-z) वाला, एक संख्या (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर हो। आप पहले लॉगइन पर मोबाइल सं, ई-मेल आईडी आदि जैसे संपर्क ब्यौरे अद्यतन कर सकते हैं। आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अपने विकल्प का गोपनीय प्रश्न और उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे नए पासवर्ड को याद रखें। इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

vi) कार्पोरेशन बैंक या भारत में किसी अन्य बैंक/कंपनी में, जिसमें आप मतदान करने के लिए पात्र हैं भावी ई-वोटिंग संकल्प (संकल्पों) पर वोटिंग के लिए नए पासवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि वह बैंक/कंपनी कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड के ई-वोटिंग प्लैटफार्म के ज़रिए ई-वोटिंग का विकल्प चुनती है।

vii) आपको नए ब्यौरों अर्थात् पासवर्ड आदि के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।

viii) सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद 'EVEN' अर्थात् 'बैंक का नाम' चुनने के लिए सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा।

ix) यदि आप डीमैट रूप में शेयर रखते हैं और यदि आपने इससे पहले **"https://evoting.karvy.com"** को लॉग ऑन करके किसी बैंक/कंपनी के लिए पहले वोट डाले हों को अपने वर्तमान लॉगइन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

x) वोटिंग पृष्ठ पर आपको संकल्प का विवरण दिखाई देगा और

iii) Please contact toll free No. **18003454001** of e-platform provider – i.e. Karvy Computershare Pvt. Ltd. for any further clarifications.

iv) After entering these details appropriately, click on "LOGIN".

v) Members holding shares in Demat/Physical form will now reach Password Change menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. You can also update contact details like mobile no., e-mail ID etc., on 1st login. You may also enter the Secret Question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. The shareholders are advised to remember the new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi) The new password can be used for voting on future e-voting resolution(s) for Corporation Bank or any other Bank/Company in India on which you are eligible to vote, provided that Bank/Company opts for e-voting through Karvy Computershare Private Limited e-Voting platform.

vii) You need to login again with the new credentials i.e. with new password etc.

viii) On successful login, system will prompt to select the 'EVEN' i.e., 'Bank Name'.

ix) If you are holding shares in Demat form and had logged on to **"https://evoting.karvy.com"** and casted your vote earlier for any Bank/Company, then your existing login ID and password are to be used.

x) On the voting page, you will see Resolution Description

उसके सामने वोटिंग के लिए 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' विकल्प होगा। 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' के अंतर्गत शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाते हैं) प्रविष्ट करें या विकल्प के तौर पर आप आंशिक रूप से कोई संख्या 'FOR' में प्रविष्ट कर सकते हैं और आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन FOR/AGAINST' में कुल मिलाकर अपनी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शेयरधारक वोट नहीं डालना चाहता है तो 'ABSTAIN' चुने।

xi) मतदान करने के लिए संकल्प को चुनने के बाद "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण का बॉक्स दिखाई देगा। अगर आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने विकल्प को परिवर्तित करें।

xii) एक बार आप संकल्प पर अपने वोट को "CONFIRM" करते हैं, आपको अपने वोट को बदलने की अनुमति नहीं होगी और इसे आपकी अंतिम वोटिंग माना जाएगा।

xiii) कंपनी निकाय सहित संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर अन्य) के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की स्कैन की गई प्रति (यह फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में एटैचमेंट के रूप में हो), जिसे जिस बैठक में वह संकल्प पारित किया गया, उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, और उसके साथ वोट करने के लिए प्राधिकृत विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर ई-मेल के ज़रिए **evoting@karvy.com** को प्रति अंकित करते हुए **evoting@ezylaws.com** पर स्क्रूटिनाइज़र को भेजें। फाइल का नाम "the body corporate Name.... EVEN...." फॉर्मेट में हो। उपर्युक्तानुसार स्कैन की गई प्रतियाँ ई-वोटिंग से पहले या तुरंत बाद ई-मेल द्वारा भेजी जानी है। अगर वह ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले स्क्रूटिनाइज़र/कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त नहीं होती है, तो की गई ई-वोटिंग कंप्यूटर सिस्टम में अस्वीकृत की जाएगी।

I ख. यदि किसी शेयरधारक को वार्षिक महासभा (एजीएम) की सूचना की कागज़ी प्रति प्राप्त होती है [उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है और जो कागज़ी प्रति का अनुरोध करते हैं]:

i) एजीएम के उपस्थिति पत्रक के नीचे प्रारंभिक पासवर्ड दिया गया है:

EVEN (ई-वोटिंग इवेंट नंबर) **यूज़र आईडी पासवर्ड**

ii) कृपया वोट डालने के लिए उपर्युक्त क्रमांक (i) से क्रमांक (xiii) तक दिए कदमों का अनुसरण करें।

II यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयर धारकों के लिए ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. से **1800 345 4001** (टोल फ्री) से संपर्क कर सकते हैं।

III अगर आपने ई-वोटिंग के लिए पहले ही कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के साथ रजिस्टर करवाया है तो आप अपना वोट डालने के लिए अपना वर्तमान यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

and against the same the option 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' for voting. Enter the number of shares (which represents number of votes) under 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' or alternatively you may partially enter any number in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR/AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding. If the shareholder does not want to cast, select 'ABSTAIN'.

xi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

xii) Once you 'CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote and it will be treated as final voting by you.

xiii) Institutional shareholders including body corporates (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (this file be as an attachment in PDF Format) of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to **evoting@ezylaws.com** with a copy marked to **evoting@karvy.com**. The file should be named in the format of "the body corporate Name.... EVEN....". The scanned copies are to be sent as mentioned above by e-mail, before or immediately after casting the e-voting. However, in case the same do not reach Scrutinizer/Karvy Computershare Private Limited before closure of e-voting, the e-voting so exercised will be rejected in the computer system.

I B. In case a shareholder receives physical copy of the Notice of Annual General Meeting (AGM) [for shareholders whose e-mail IDs are not registered with the Bank/Depository Participant(s) or requesting physical copy] :

i. Initial password is provided at the bottom of the Attendance Slip for the AGM:

EVEN (E-Voting Event Number) **USER ID PASSWORD**

ii. Please follow all steps from Sl. No. (i) to Sl. No. (xiii) above, to cast vote.

II In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of https://evoting.karvy.com or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd., on Tel. No.1800 345 4001 (toll free).

III If you are already registered with Karvy Computershare Pvt. Ltd., for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

IV भावी संसूचनाएं भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले फोलियो के यूज़र प्रोफाइल ब्योरे में आप अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को अद्यतन भी कर सकते हैं।

V ई-वोटिंग अवधि **गुरुवार 19 जून, 2014** को (पूर्वाह्न 10.00 बजे) शुरू होगी और **शनिवार 21 जून, 2014** को (अपराह्न 5.00 बजे) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान दिनांक 16.06.2014 को (17.06.2014 से 26.06.2014, दोनों दिन सहित, बही बंदी के संदर्भ में) कागज़ी रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। तत्पश्चात् ई-वोटिंग मॉड्यूल कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. द्वारा डिसेबल किया जाएगा। शेयरधारक द्वारा एक बार किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद उक्त शेयरधारक को बाद में उसे बदलने या परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

VI शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार दिनांक 16.06.2014 को (17.06.2014 से 26.06.2014, दोनों दिन सहित, बही बंदी के संदर्भ में) बैंक की ईक्विटी शेयर पूँजी में उनके शेयरों के अनुपात में इस शर्त पर होगा कि केन्द्र सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा। संयुक्त धारकों के मामले में लॉगइन आईडी/यूज़र आईडी शेयरों को प्रथम धारक को भेजी जाएगी। तदनुसार, प्रथम धारक को भेजी गई यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए किए गए मतदान को संयुक्त धारकों की ओर से किया गया मतदान माना जाएगा चूँकि कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की ई-वोटिंग सेवाओं के ज़रिए वोट डालने वाला शेयरधारक सभी संयुक्त धारकों की ओर से ऐसा करता है। प्रथम धारक का तात्पर्य उस शेयर धारक से है, जिसका नाम धारित शेयरों के सामने पहले पंजीकृत है। **केवल वोट डालने के लिए पात्र शेयरधारक ही ई-वोटिंग के ज़रिए अपना वोट डालने के लिए पात्र है। जिस व्यक्ति का कोई मताधिकार नहीं है, उसे यह सूचना मात्र जानकारी के लिए समझनी चाहिए।**

VII **श्री अंकुर कुमार (बार काउंसिल पंजीकरण सं. एमएएच/ 5718/ 2011, एडवोकेट, पार्टनर, मेसर्स ईज़ी लॉस, मुंबई)** को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप में ई-वोटिंग प्रक्रिया चलाने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है।

VIII स्क्रूटिनाइज़र, ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति से, अधिकतम तीन(3) कार्य दिवसों के अंदर कम-से-कम दो(2) ऐसे साक्षियों की उपस्थिति में जो बैंक में नियोजन में न हों, वोटों को अनब्लॉक करेंगे और पक्ष और विपक्ष में डाले वोटों पर स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट बनाकर बैंक के अध्यक्ष को तत्काल प्रस्तुत करेंगे।

IX ई-वोटिंग के परिणाम बैंक की वार्षिक महासभा में या उसके बाद घोषित किए जाएंगे। स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वार्षिक महासभा में उक्त संकल्प को पारित करने और एनएसई/बीएसई को संसूचित करने के दो (2) दिनों के अंदर बैंक की वेबसाइट

IV You can also update your mobile number and e-mail ID in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

V The e-voting period commences on **Thursday 19th June, 2014** (10:00 a.m.) and ends on **Saturday 21st June, 2014** (5:00 p.m.). During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on 16.06.2014 (with reference to Book Closure from 17.06.2014 to 26.06.2014, both days inclusive), may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by Karvy Computershare Pvt. Ltd., for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change or modify it subsequently.

VI The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on 16.06.2014 (with reference to Book Closure from 17.06.2014 to 26.06.2014, both days inclusive), subject to the condition that no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of joint holders, Login ID/User ID and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote casted using the User ID and password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders, as the shareholder who casts the vote through the e-Voting services of Karvy Computershare Pvt. Ltd. is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of the shares, whose name is first registered against the shares held; **only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.**

VII **Mr. Ankur Kumar (Bar Council Registration No. MAH/5718/2011, Advocate, Partner M/s. Ezy Laws, Mumbai)** has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

VIII The Scrutinizer shall, within a period not exceeding three(3) working days from the conclusion of the e-voting period, unblock the votes in the presence of at least two(2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman of the Bank.

IX The Results of the e-voting shall be declared on or after the AGM of the Bank. The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website **www.corpbank.com** and on the website of Karvy Computershare Pvt. Ltd., within two(2) days of

www.corpbank.com और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. की वेबसाइट में प्रदर्शित किए जाएंगे।

8. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल ने 9 मई, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में ₹10/- के प्रत्येक शेयर हेतु ₹2.25 का लाभांश संस्तुत किया है जिसे इस वार्षिक महासभा में शेयरधारकों द्वारा घोषित किया जाना है। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि प्रत्येक ₹10.00 के शेयर हेतु ₹2.25 अर्थात् 22.50% का लाभांश घोषित करें।

यदि वार्षिक महासभा में लाभांश की घोषणा की जाती है तो उसे **3 जुलाई, 2014** को या उसके बाद या इस घोषणा से 30 दिन के भीतर, उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा यथा प्रस्तुत बैंक के सदस्य/हितकारी स्वामी रजिस्टर में 16 जून, 2014 को मौजूद हैं।

9. लाभांश वारंट/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) – एनईसीएस/एनईएफटी में बैंक खाते के विवरण

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लाभांश वितरण करते समय शेयरधारकों और उनके डिपॉज़िटरियों द्वारा दिए गए बैंक खाता विवरण लाभांश वारंट में उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए यह भी अनिवार्य कर दिया है कि वे लाभांशों का भुगतान करते समय ईसीएस, एनईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस आदि जैसे भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित भुगतान विधियों का उपयोग करें और बैंक खाता विवरण, एमआईसीआर संख्या और आईएफएससी आदि जैसी आपेक्षित सूचना उपलब्ध न होने पर शेयरधारकों को ऐसा भुगतान करने हेतु कागज़ी भुगतान लिखतों का उपयोग करें। बैंक अपने पास उपलब्ध बैंक विवरण भुगतान लिखतों में मुद्रित करेगा।

जिन शेयरधारकों के पास कागज़ी रूप में शेयर हैं, वे अभिलेखों को आवश्यक अद्यतन करने हेतु बैंक अधिदेश विवरण, बैंक के निवेशक सेवा विभाग को या हमारे शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि., हैदराबाद के पास भेज सकते हैं। जिन शेयरधारकों के पास डीमैट रूप में शेयर हैं वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट से सम्पर्क कर सकते हैं। एनईसीएस अधिदेश/बैंक अधिदेश का प्रोफार्मा वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

10. अदावी लाभांश यदि कोई है

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया है/अगर पूर्व अवधि के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं तो डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने हेतु बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें। इस संबंध में बैंक समय-समय पर बैंक के लाभांश रजिस्टर के अनुसार संबंधित शेयरधारकों को अनुस्मारक भी भेज रहा है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10बी के अनुसार सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त या अदावी लाभांश की राशि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा

passing of the resolutions at the AGM of the Bank and communicated to the NSE/BSE.

8. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board of Directors have recommended at their meeting held on 9th May, 2014, a Final Dividend of ₹2.25 per share of ₹10/- each which is required to be declared by the shareholders at this AGM. The shareholders are therefore requested to declare the Final Dividend of ₹2.25per share of ₹10.00 each, i.e. 22.50%.

The Dividend, if declared at the Annual General Meeting, will be paid on or after **3rd July, 2014** or within 30 days of declaration thereof, to those shareholders whose names appear on the Bank's Register of Members/Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL as on 16th June, 2014.

9. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANT/NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT CLEARING) – NECS/NEFT

SEBI has made it mandatory for all the listed entities to mention in the Dividend Warrant, the Bank Account details furnished by the shareholders and their depositories, while distributing Dividends. It has also made it mandatory for listed entities to use RBI approved electronic mode of payments such as ECS, NECS, NEFT, RTGS etc., for making dividend payments and in the event of non-availability of the required information like bank account details, MICR number and IFSC etc., to use physical payment instruments for making such payments to shareholders. The Bank shall print the Bank details, as available with them, in the payment instruments.

The shareholders who are holding the shares in physical form may send their Bank Mandate details to Investor Services Department of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad, for necessary updation of the records. The shareholders who are holding the shares in demat form may approach their Depository Participants for necessary action in this connection. A Proforma of NECS Mandate/ Bank Mandate is furnished in the Annual Report.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/received Dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent, for issue of duplicate Dividend Warrant. In this regard Bank is also sending reminder letters from time-to-time to the concerned shareholders as per Dividend Register of the Bank.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the amount of Dividend remaining unpaid or unclaimed

205(सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित की जानी चाहिए। तदनुसार, बैंक ने अदावाकृत अंतिम लाभांश खाता 2005-06 तक बकाया अदावाकृत लाभांश खातों की शेषराशियों को केन्द्र सरकार की निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया था।

निवेशकों को बतौर सेवा बैंक यह अनुरोध करते हुए नियमित अंतरालों में अनुस्मारक पत्र भेजता रहा है कि वे लाभांशों का दावा करें।

11. शेयरधारकों से निवेदन

क) तुलन-पत्र की प्रतियाँ

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक महासभा के समय वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वितरित नहीं की जाएंगी, इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर या ई-मेल पते पर भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति या उसके उद्धरण को साथ लेकर आएं।

ख) शेयरों का डीमेटीरियलाइजेशन

अपने शेयर प्रमाणपत्र अब भी कागज़ी रूप में धारित करनेवाले शेयरधारकों से अपने शेयरों को यथाशीघ्र डीमैट करवाने का अनुरोध किया जाता है।

ग) पता या ई-मेल आईडी में परिवर्तन

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पते में किसी परिवर्तन को निम्नलिखित को तुरंत अधिसूचित करें:

- शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट को।
- कागज़ी रूप में धारित शेयरों के मामले में शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., यूनिट: कार्पोरेशन बैंक, प्लाट सं.17-24, विट्ठल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद - 500 081 को।
- शेयरधारकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ई-मेल पते को बैंक में पंजीकृत/अद्यतन करें ताकि बैंक ई-मेल द्वारा अपना सभी पत्राचार/सूचना/वार्षिक रिपोर्ट आदि भेज सके। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें। कागज़ी रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को, जो बैंक का शेयर अंतरण एजेंट है, यथा शीघ्र अपना ई-मेल पता भेजें/अद्यतन करें।

घ) खातों संबंधी सूचना

खातों से संबंधित कोई सूचना/स्पष्टीकरण मांगने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा से कम-से-कम सात दिन पहले कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग,

for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 205(C) of the Companies Act, 1956. The Bank had, accordingly, transferred the Balances in Unclaimed Dividend accounts outstanding till Unclaimed Final Dividend Account 2005-06 to the Investor Education and Protection Fund of the Central Government.

As a matter of service to shareholders, Bank has been sending reminders to shareholders at regular intervals requesting them to claim the same.

11. REQUEST TO THE SHAREHOLDERS

(A) Copies of Balance Sheet

Shareholders are requested to note that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report or extract thereof, mailed by the Bank to them at their registered addresses and/or e-mail addresses.

(B) Dematerialisation of shares

Shareholders who are still holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialized at the earliest.

(C) Change of address or e-mail ID

Shareholders are requested to notify any change in their addresses to:

- Their respective Depository Participant, in case shares are held in dematerialised form.
- The Share Transfer Agent, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit: Corporation Bank, Plot No. 17 - 24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad-500 081, in case shares are held in physical form.
- Shareholders are also requested to register/update their e-mail address with the Bank to enable the Bank to send all communications/notices/Annual Report etc., through e-mail. Shareholders holding shares in demat mode are requested to register/update their e-mail addresses with their respective Depository Participants. Shareholders holding physical shares are requested to send/update their e-mail address with M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., the Share Transfer Agent of the Bank, at the earliest.

(D) Information on Accounts

Shareholders seeking any information/clarification with regard to annual accounts are requested to address their letters to the Company Secretary,

प्र.का. मंगलूर - 575 001, कर्नाटक राज्य को लिखें ताकि शुक्रवार, 20 जून, 2014 को शाम 5.00 बजे तक प्राप्त हो और बैंक सूचना तैयार रख सके।

ङ) **फोलियो का समेकन**

जो शेयरधारक शेयर कागज़ी रूप में एक से अधिक फोलियो में एक ही नाम से या नाम के उसी क्रम में संयुक्त नाम से धारित करते हैं, उनसे अनुरोध है कि एक ही फोलियो में समेकन हेतु शेयर प्रमाणपत्रों को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को भेजें।

च) **स्थिति में परिवर्तन**

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को कागज़ी रूप में धारित शेयरों के संबंध में या शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को निम्नलिखित सूचना तुरंत दें:

क) स्थाई निवास के लिए भारत लौटने पर निवासी हैसियत में परिवर्तन।

ख) भारत के बैंक खाते से संबंधित ब्यौरे, पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या, पिन सहित बैंक का पता दें, यदि पहले नहीं दिया हो।

छ) **शेयरधारकों के मताधिकार**

अधिनियम (यथा संशोधित और 18.01.2013 से प्रभावी) की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अधीन, कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के खण्ड 68(i) के अनुसार, वार्षिक महासभा की तारीख से पहले रजिस्टर की बंदी की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को हस्त प्रदर्शन पर एक वोट होगा और चुनाव के मामले में उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट होगा।

ज) **अन्य सूचना**

क) पर्यावरण सजगता पहल के समर्थन में बैंक ने ईक्विटी सूचीकरण करार के खण्ड 32 में दिए निदेशों के अनुसार, अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट/बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाई है, उन्हें वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट

Corporation Bank, Investor Services Department, Head Office, Mangalore – 575 001, Karnataka State at least seven days in advance of the Annual General Meeting so as to reach latest by Friday, 20th June, 2014 by 5.00 p.m., to enable the Bank to keep the information ready.

(E) Consolidation of Folios

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names, are requested to send the share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., for consolidation into a single folio.

(F) Change of Status

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., in respect of shares held in physical form or to inform their respective Depository Participants if shares are held in dematerialised form immediately of:

a) the change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) the particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

(G) Voting Rights of Shareholders

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act (as amended and effective from 18.01.2013), no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

In terms of Clause 68(i) of Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder as on the date of the closure of the Register, prior to the date of the Annual General Meeting shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(H) Other information

a) In support of the green initiative, the Bank has decided to send soft copies of the Notice of Annual General Meeting and Annual Report to all the shareholders who have registered their e-mail IDs with their Depository Participant/ Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, as per the directions contained in clause 32 of

प्रतियाँ भेजने का निर्णय लिया है। लेकिन सदस्य कृपया यह नोट करें कि 17वीं वार्षिक महासभा की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com पर भी उपलब्ध होगी। पूर्वोक्त दस्तावेज़ों की कागज़ी प्रतियाँ निरीक्षण हेतु कार्यदिवसों पर सामान्य कारोबार समय के दौरान मंगलूर में बैंक के प्रधान कार्यालय में भी उपलब्ध होंगी। ई-संसूचना के लिए पंजीकृत करवाने के बावजूद, सदस्य, अनुरोध करने पर डाक से निशुल्क कागज़ी रूप में ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। किसी संसूचना के लिए शेयरधारक बैंक की विशिष्ट ई-मेल आईडी **isd@corpbank.co.in** को या डाक द्वारा भी अनुरोध भेज सकते हैं।

ख) शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार/ उपहार-कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थानः मंगलूर
दिनांकः 23.05.2014

the Listing agreement for Equity. However, Members may note that the Notice of the 17th Annual General Meeting and the Annual Report for 2013-14 will also be available on the Bank's website www. corpbank.com for their download. The physical copies of the aforesaid documents will also be available at the Bank's Head Office at Mangalore, for inspection during normal business hours on working days. Even after registering for e-communication, members are entitled to receive such communication in physical form, upon making a request for the same by post free of cost. For any communication, the shareholders may also send requests to the Bank's dedicated e-mail ID: **isd@corpbank.co.in** or by post.

b) Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

Place : Mangalore
Date : 23.05.2014

कार्पोरेशन बैंक
CORPORATION BANK
प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग
Head Office: Mangala Devi Temple Road
मंगलूर MANGALORE-575001

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS
FOR SEVENTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING
सत्रहवीं वार्षिक महासभा के लिए उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र

दिनांक: 26 जून, 2014 समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे स्थान : सभागृह, सहस्राब्दि भवन कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय मंगलूर – 575 001	Date : 26th June, 2014 Time: 10.30 A. M. Place: Auditorium, Millennium Building Corporation Bank, Head Office, Mangalore-575001

उपस्थिति पत्रक ATTENDANCE SLIP
(प्रवेश के समय जमा किया जाए To be surrendered at the time of entry)

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/प्रॉक्सीProxy)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

.....
उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

.....X.....

प्रवेश पत्र ENTRY PASS

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/प्रॉक्सीProxy)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

EVSN (E – Voting Sequence Number)	USER ID	PASSWORD

NOTE : Please follow the e-voting instructions mentioned in the Annual Report

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक हॉल में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र को विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी, प्रवेश आवश्यकतानुसार आगे सत्यापन/जाँच के अध्यधीन होगा। किसी भी हालत में बैठक हॉल में प्रवेश द्वार पर उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी।
पुनश्च: बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बाँटे जाएंगे। वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी।
Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-entry Pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the Shareholders/Proxy holders/ Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.
P.S. : No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting. Copies of the Annual Report will not be distributed at the venue.